

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.1(3)खान/गुप-1/2022

जयपुर, दिनांक:

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 22.11.2022 द्वारा सहायक खनि अभियंता से खनि अभियंता पद पर पदोन्नत अधिकारियों की पद रिक्ति दिनांक निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	श्रेणी	आवंटित पदोन्नति वर्ष	पद रिक्ति दिनांक
1.	श्री हरसुखराम विश्नोई	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
2.	श्री जगदीशचन्द्र मेरावत	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
3.	श्री ललित बाछरा(अ.जा.)	अ.जा.	2019-20	01.04.2019
4.	श्री राजेन्द्र सिंह	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
5.	श्री रामलाल सिंह	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
6.	श्री मुकेशचन्द्र मंगल	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
7.	श्री रामनिवास मंगल	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
8.	श्री मनोज कुमार शर्मा	अनारक्षित	2019-20	01.04.2019
9.	श्री लक्ष्मीनारायण	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
10.	श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा(अजजा)	अ.ज.जा.	2020-21	01.04.2020
11.	श्री सहदेव सारण	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
12.	श्री प्रशान्त बेदवाल	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
13.	श्री वेदप्रकाश	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
14.	श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
15.	श्री महेश प्रकाश पुरोहित	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
16.	श्री विनीत गहलोत	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
17.	श्री भगवान सिंह	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
18.	श्री ललित मंगल	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
19.	श्री आरिफ मोहम्मद शेख	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
20.	श्री धीरज पवार	अनारक्षित	2020-21	01.04.2020
21.	श्री धर्मसिंह मीणा(अ.ज.जा.)	अ.ज.जा.	2020-21	01.04.2020
22.	श्री नरेन्द्र खटीक(अ.जा.)	अ.जा.	2020-21	01.04.2020
23.	श्री चंदन कुमार(अ.जा.)	अ.जा.	2020-21	01.10.2020
24.	श्री घनश्याम चौहान(अ.जा.)	अ.जा.	2020-21	01.10.2020
25.	श्री श्याम कापडी	अनारक्षित	2021-22	01.04.2021
26.	श्री पिकराव सिंह(अ.जा.)	अ.जा.	2021-22	24.04.2021

आज्ञा से,

(आशु चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
9736031



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. निजी पत्रावली।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव